आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

18/08/2014

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

वाद संख्या-R.M.R. 09/2013-14

सुशील किस्कू एवं अन्य **बनाम** सिनन्द किस्कू 16 आना रैयत

आदेश

यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Settlement Case No.-25/1992-93 में दिनांक-17.07.1992 को पारित आदेश के विरूद्ध रिवीजन है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Settlement Case No.-25/1992-93 में दिनांक-17.07.1992 को पारित आदेश में अंचल अधिकारी, कुण्डहित द्वारा मौजा-दोमहानी में प्रस्तावित किये गये जमीन का बन्दोवस्ती स्वीकृत किया गया है।

पक्षकार सुनील किस्कू एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा-दोमहानी के जमाबन्दी रैयत है। मौजा-दोमहानी के दाग संख्या-228,139 एवं 171 गतसर्वे खतियान में झांटी-जंगल बोलकर दर्ज है एवं दाग संख्या-415 पुरातन पतित बोलकर दर्ज है। उक्त सभी दाग 228,139,171 एवं 415 उनके जमाबन्दी दाग संख्या-144,145,135,2065 के Contiaguas (सटा हुआ) है। उक्त सभी दाग संख्या-228,139,171 एवं 415 को अपीलकर्त्ता के पिता द्वारा जमीन खोदकर धानी खेती करने योग्य बनाकर गया। उभयपक्षकर एक ही पूर्वज के उत्तराधिकरी है या वंशज है। मौजा-दोमहानी जमाबन्दी संख्या-21 के रैयत है। वे चंदा इकट्ठा कर प्रश्नगत प्लॉट के बंदोवस्ती हेतु न्यायालय में पक्ष रखने हेतु विपक्षी को भेजा करते थे। लेकिन उनके द्वारा अपने नाम पर बन्दोवस्ती कर लिया गया। अंचल अधिकारी द्वारा भी स्थल जाँच किये बिना बन्दोवस्ती हेतु सिनन्द किस्कू के पक्ष में प्रतिवेदन किया जाना गैर कानूनी है। उक्त सभी दाग संख्या अपीलकर्त्ता द्वारा जोत-आबाद किया जाता है एवं दखल कब्जा में है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा सिनन्द किस्कू को दिये गये बन्दोवस्ती को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-दोमहानी के स्थायी जमाबन्दी रैयत एवं आदिवासी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामाड़ा के न्यायालय के वाद 25/1992-93 में दिनांक-17.07.1992 द्वारा उन्हें मौजा-दोमहानी के दाग संख्या-228,129,528,171 एवं 414 में से कुल-2.99 एकड़ जमीन का बन्दोवस्त प्राप्त है। उक्त जमीन का उनके द्वारा खोदकर खेती योग्य बनाया गया है एवं उक्त सभी जमीन उनके जमाबन्दी दाग संख्या से सटा हुआ है। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Settlement Case No.-25/1992-93 में दिनांक-17.07.1992 को पारित आदेश के विरूद्ध पक्षकार द्वारा लगभग 22 साल बाद Revesion दायर किया गया है। S. P. T. (Supplementary Provisions) Act. 1949 की धारा-64 के अनुसार Revesion वाद दायर करने का समयावधि एक वर्ष है। उक्त जमीन सिर्फ उत्तरवादी सिनन्द किस्कू द्वारा ही खोदकर धानी योग्य बनाया गया है। उक्त जमीन को बँटवारा नहीं किया जा सकता है। भवदीय के न्यायालय बँटवारा के लिए सक्षम न्यायालय भी नहीं है। यह भूमि उत्तरवादी के जोत-आबाद एवं दखल कब्जा में है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में संलग्न निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। S. P. T. (Supplementary Provisions) Act. 1949 की धारा-64 के अनुसार **"General rule of limitation-** All application made under this Act. for which no period of limitation is provided elsewhere in this Act. shall be made within one year from the date of the accruing of the cause of action:

Provided that there shall be no period of limitation for an application under section 42."

पुनः S. P. T. (Supplementary Provisions) Act. 1949 की धारा-66(b) के अनुसार **"Limitation for appeals.-** Every appeal under this Act shall be presented to the Deputy Commissioner or to the Subdivision Officer within sixty days of the order appealed against."

उक्त वाद में पक्षकार द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Settlement Case No.-25/1992-93 में दिनांक-17.07.1992 को पारित आदेश के लगभग 22 साल बाद Revesion वाद दायर किया गया है, जो S. P. T. (Supplementary Provisions) Act. 1949 की धारा-64 के प्रतिकुल है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय भी उक्त बन्दोवस्त जमीन के बँटवारा के लिए सक्षम न्यायालय नहीं है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Settlement Case No.-25/1992-93 में दिनांक-17.07.1992 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
23/8/23

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2023.08.25 09:32:49 +05:30
Location: 192.168.43.106